उपायुक्त का कार्यालय, (जिला कल्याण शाखा), गिरिडीह।

अति अल्पकालीन निविदा

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि सरकार के संयुक्त सचिव, कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची के पत्रांक 1660 दिनांक 07.06.2017 के आलोक में गिरिडीह जिले के कल्याण विभागीय आवासीय विद्यालय पीरटाँड़ में रसोइया सह सेवक के 02 पद एवं रात्रि प्रहरी 01 पद जमुआ में रसोइया – सह – सेवक के 03 पद एवं खरगडीहा में रसोइया – सह – सेवक के 02 पद कुल 08 पदों के लिए कल्याण विभाग द्वारा निर्धारित भोजन मिनू के अनुसार बनाने एवं रात्रि प्रहरी के कार्यों का सम्पादन हेतु आउट सोर्सिंग (बाह्य सेवा) के माध्यम से किये जाने का निर्णय लिया गया है। इच्छुक निविदा दाता मोहरबंद लिफाफा में निविदा दिनांक 14.09.2017 को 12.00 बजे अपराह्न तक जिला कल्याण शाखा गिरिडीह में दे सकतें हैं या निबंधित डाक द्वारा भी भेज सकते हैं। निर्धारित समय के बाद प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदा उसी दिन क्रय समिति के सदस्यों के बीच उप–विकास आयुक्त कार्यालय प्रकोष्ठ में 3:00 बजे खोली जायेगी। इच्छुक उम्मिदवार www.giridih.nic.in से विस्तृत जानकारी प्राप्त कर निविदा जमा करेंगें।

जिला कल्याण पदाधिकारी,
गिरिडीह।

ज्ञापांक 1187 / क0 दिनांक 6/9/ 2017

प्रतिलिपिः– जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, गिरिडीह को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि कम से कम तीन दैनिक समाचार पत्रों में उक्त निविदा सूचना प्रकाशित किया जाय।

प्रतिलिपिः– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, गिरिडीह को सूचनार्थ एवं निविदा की सूचना एवं निविदा की शर्तो को जिला के बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

6/9/017

जिला कल्याण पदाधिकारी,
गिरिडीह।

Oder

उपायुक्त का कार्यालय, (जिला कल्याण शाखा), गिरिडीह।

निविदा हेतु आवश्यक शर्तें निम्नांकित है:–

1. प्रत्येक निविदा दाताओं को अपने निविदा के साथ जिला कल्याण पदाधिकारी, गिरिडीह के पदनाम से 30000.00 (तीस हजार रूपये) का बैंक ड्राफ्ट प्रतिभूति के रूप में सुरक्षित जमा करना होगा।
2. अद्यतन आयकर रिटर्न 2016–17 का देना होगा।
3. वार्षिक टर्न ओवर 2016–17 का 400000.00 (चालिस लाख) रू0 का देना होगा।
4. निविदा दाता को काली सूची मे नाम नही रहने का नोटरी सपथ पत्र देना होगा।
5. निविदा दाता को सभी प्रकार का कर सम्मिलित कर प्रतिमाह का दर देना होगा।
6. GST NUMBER के साथ देना होगा।
7. निविदा दाता को किसी संस्थान/प्रतिष्ठान से केटरींग/हाउस किपींग का न्युतम एक वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा।
8. विद्यालयों में सरकार द्वारा निर्धारित भोजन का (मिनू) के अनुसार बनाना होगा। रात्रि प्रहरी का कार्य पुरी इमानदारी कर्त्तव्यनिष्ठा एवं शुद्ध आचरण के साथ किरदार का निर्वाह करना होगा।
9. स्थानीय निविदादाताओं को प्राथमिकता दी जायेगी।
10. निविदादाता को प्रथम लिफाफा में तकनीकी निविदा एवं द्वीतीय लिफाफा में उपरोक्त सेवा कें एवज में मासिक राशि दर Qoute करना होगा।
11 कल्याण विभाग राँची द्वारा कर्मियों का पद स्थापन हाने पर स्वीकृत निविदा स्वतः समाप्त हो जायेगा।
12. कल्याण विभाग रांची द्वारा बाह्य सेवा के मद में आवंटन प्राप्त होने के पश्चात हीं भुगतान किया जायगा।
13. निविदा स्वीकृत करने या अस्वीकृत करने या सम्पूर्ण निविदा को रद्द या एक से अधिक आपूर्तिकर्त्ता को आदेश देने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।

जिला कल्याण पदाधिकारी,
गिरिडीह।

ज्ञापांक......1186/क0 दिनांक......6/9/2017

प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, गिरिडीह को सूचनार्थ एवं निविदा की शर्तें की सूचना को जिला के बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

6/9/017

जिला कल्याण पदाधिकारी,
गिरिडीह।